उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-44/2015/4515/37-1-2015-7(32)/2015

लखनऊः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-आदेश

डा0 कैलाश चन्द्र, पशु चिकित्सा अधिकारी, चपौटा, अलीगढ को कार्यालय आदेश संख्या-3010/37-1-2015-9(51)/2015, दिनांक 22जुलाई, 2015 द्वारा स्थानान्तरित करते हुए पशु चिकित्सालय-रतसड, बलिया में तैनात किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध डा0 कैलाश चन्द्र द्वारा योजित रिट याचिका संख्या-1236(एस0बी0)/2015, डा0 कैलाश चन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा दिनांक 25.8.2015 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है -

In view of the aforesaid submission, we hereby permit the petitioner to make a fresh representation to the transferring authority who shall consider the same in light of the policy of spouse posting at nearby place and pass an appropriate order within two weeks from the date of submission of representation.

With the aforesaid direction the writ petition is disposed of

2- उक्त पारित आदेश के क्रम में डा0 कैलाश चन्द्र द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 15.9.2015 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा अपनी पत्नी के बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय, पीलाबुर्ज, विकास क्षेत्र, जलेसर, जिला-एटा में तैनात होने का उल्लेख करते हुए स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.7.2015 को निरस्त करने अथवा पशु चिकित्सालय-भवीगढ, जनपद-अलीगढ अथवा पशु चिकित्सालय-पिलुआ, जनपद-एटा में तैनात करने का अनुरोध किया गया। उक्त के अतिरिक्त श्रीमती राजरानी पत्नी डा0 कैलाश चन्द्र के पत्र दिनांक 1.10.2015 में अपने पति डा0 कैलाश चन्द्र को पशु चिकित्सालय-अवागढ या पिलुआ, जनपद-एटा में तैनात करने का अनुरोध किया गया है।

3- डा0 कैलाश चन्द्र के प्रत्यावेदन दिनांक 15.9.15 एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा श्री राज्यपाल, डा0 कैलाश चन्द्र, पशु चिकित्सा अधिकारी, चपौटा, जनपद-अलीगढ का कार्यालय आदेश संख्या-3010/37-1-15-9(51)/15, दिनांक 22.7.15 द्वारा पशु चिकित्सालय-रतसड, बलिया में किये गये स्थानान्तरण को संशोधित करते हुए उन्हें पशु चिकित्सालय-अवागढ, जनपद-एटा में तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते है।

4- तद्नुसार रिट याचिका संख्या-1236(एस0बी0)/2015 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 25.8.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में डा0 कैलाश चन्द्र, पशु चिकित्सा अधिकारी के प्रत्यावेदन दिनांक 15.9.2015 को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-44/2015/4515(1)/37-1-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक(प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- सम्बन्धित अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक(प्र0एवं वि0)।

3- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशक(प्र0एवं वि0)।

4- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निदेशक(प्र0एवं वि0)।

5- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक(प्र0एवं वि0)।

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सुनील कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in